न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,भरतपुर

प्रा.पत्र / सरफेसी / 79 / 2025

पंजाब नेशनल बैंक, शाखा जवाहर नगर, भरतपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी विजयसिंह मीणा

....प्रार्थी / प्रतिभूति लेनदार

बनाम

बन्टी पुत्र श्री अर्जुन सिंह निवासी कसाई गली, बुद्ध की हाट, भरतपुर जिला भरतपुर

...........ऋणी / अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रशन ऑफ फाइनेन्सियल एसेटस एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरेस्ट एक्ट 2002 एतद् पश्चात 'एक्ट' से संबोधित किया गया है बंधक संम्पति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

आदेश **दिनांक 17.12.2025**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अप्रार्थीगण / ऋणी ने प्रार्थी बैंक से दिनांक 29.03.2023 को जरिए ऋण अनुबन्ध, राशि रू. 10,00,000 / – (शब्देन दस लाख रूपये मात्र) की ऋण सुविधा ली गई थी। उक्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी0 ने अपनी अचल सम्पति सभी अंश व हिस्से जिसमे प्लाट शामिल है जो कसाई गली, बुद्ध की हाट, भरतपुर जिला भरतपुर में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 62.23 वर्गमीटर है। जिसकी चतुर्थ सीमाऐं :– पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में हुकम सिंह का मकान, उत्तर में गुरूद्वारा, दक्षिण में बच्चन सिंह का मकान और रास्ता स्थित है जो अप्रार्थी0 श्री बन्टी पुत्र श्री अर्जुन सिंह के क्षेत्राधिकार में स्थित है। ऋण के ऐवज में बंधक रखी गई उक्त सम्पति जिसको प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था पर कब्जा दिलाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

अप्रार्थी0 के द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि नियत समय अवधि में जमा नहीं कराई गई, जिसके कारण प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी / ऋणी के खाता को दिनांक 16.06.2025 को एन.पी.ए. (अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक 17.06.2025 तक कुल बकाया राशि 8,85,676.94 / – रुपये ब्याज एवं अन्य खर्चे, अप्रार्थी0 पर बकाया निकलता है। जिसको अप्रार्थी0 ऋणी के द्वारा जमा

.......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रा.पत्र / सरफेसी / 79 / 2025
पंजाब नेशनल बैंक बनाम बन्दी

नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 17.06.2025 को अप्रार्थी0 को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ती के 60 दिवस के अन्दर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करें। किन्तु अप्रार्थी0 द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नही की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बाबजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस की सहायता उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण ने उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अपनी उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा– 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड दिनांक 17.06.2025 अप्रार्थी0 को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, उक्त नोटिस का प्रकाशन दिनांक 26.08.2025 के दैनिक भास्कर के भरतपुर संस्करण एवं अंग्रेजी समाचार पर स्टेट न्यूज राज0 स्पेशल में प्रकाशन भी कराया गया है। नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा बकाया राशि जमा नहीं की गई हैं। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बाबजूद भी अप्रार्थी0 ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। बैंक के द्वारा वसूली हेतु सभी तरह के प्रयास के बाबजूद राशि नहीं चुकाने पर अन्तिम रुप से सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रशन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरेस्ट एक्ट 2002 अन्तर्गत धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थी0 / ऋणी / सहऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पति का कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस सहायता उपलब्ध हेतु निर्देशित किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

अतः उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अपनी अचल सम्पति सभी अंश व हिस्से जिसमे प्लाट शामिल है जो कसाई गली, बुद्ध की हाट, भरतपुर जिला भरतपुर में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 62.23 वर्गमीटर है। जिसकी चतुर्थ सीमाऐं :– पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में हुकम सिंह का मकान, उत्तर में गुरुद्वारा, दक्षिण में बच्चन सिंह का मकान और

......3

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रा.पत्र/ सरफेसी/79/2025
पंजाब नेशनल बैंक बनाम बन्टी

रास्ता स्थित है जो अप्रार्थी0 श्री बन्टी पुत्र श्री अर्जुन सिंह के क्षेत्राधिकार में स्थित है। ऋण के ऐवज में बंधक रखी गई उक्त सम्पति जिसको प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर
भरतपुर

वं जिला मजिस्ट्रेट
पुर (राज.)